न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–1366/2015 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. प्रेम देवी पत्नी सोहनलाल जी बलाई उम्र वयस्क निवासी अहिंसा सर्किल कुवाडा रोड़ मुकबधिर विद्यालय कच्ची बस्ती कुवाडा खान भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1. लालाराम पुत्र सोहनलाल बलाई उम्र वयस्क निवासी अहिंसा सर्किल कुवाड़ा रोड मुकबधिर विद्यालय कच्ची बस्ती कुवाडा खान, भीलवाड़ा
2. ललिता पुत्री सोहनलाल बलाई उम्र वयस्क निवासी अहिंसा सर्किल कुवाडा रोड मुकबधिर विद्यालय कच्ची बस्ती कुवाडा खान भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

–विपक्षीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
वाद बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1. श्री मेहराज अली : प्रार्थी
2. श्री दूधाराम कुमावत : अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 16/6/25

प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री मेहराज अली द्वारा दिनांक 03.09.2015 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को रजिस्टर क्रम संख्या 1366/2015 पर दर्ज किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

ग्राम कारोईकलां पटवार हल्का कारोईकलां भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कारोईकलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में खाता संख्या 757 आराजी नम्बर 4226 रकबा 18 बिस्वा नहरी II, आराजी नम्बर 4227 रकबा 11 बिस्वा नहरी II गे0मु0 खडा 01 बिस्वा छापरवाला कुडा, आराजी नम्बर 4228 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा नहरी II, आराजी नम्बर 4229 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा बंजड, आराजी नम्बर 4230 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा नहरी II आराजी नम्बर 4231 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा नहरी II कुल किता 6 कुल रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा स्थित है।

वादग्रस्त कृषि आराजियात प्रार्थीया के पति एवं विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 2 के पिता स्व0 सोहन पिता प्यारा के नाम बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में अन्य सह खातेदारान के साथ दर्ज है। उक्त आराजियात में प्रार्थीया एवं विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 2 का हक हिस्सा 1/3 निहित है।

प्रार्थीया स्व0 सोहन पिता प्यारा बलाई की पत्नी है एवं विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 2 पुत्र एवं पुत्री है, जिन्हे विरासत से स्व0 सोहन पिता प्यारा बलाई की आराजी में हक अधिकार प्राप्त होता है।

खातेदार सोहन पिता प्यारा बलाई दिनांक 05.08.2015 को फौत हो चुके है तथा प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 स्व0 सोहन पिता प्यारा बलाई के वैध उत्तराधिकारीगण है, जिनका नाम स्व0 सोहन पिता प्यारा की जगह राजस्व रेकॉर्ड में खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक है।

16/6/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थीया एवं विपक्षीगण स्व0 सोहन पिता प्यारा बलाई के समय से ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है और उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है, लेकिन खातेदार सोहन पिता प्यारा बलाई दिनांक 05.08.2015 को फौत होने के पश्चात् विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 2 के मन में फितुर पैदा हो जाने के कारण से प्रार्थीया को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करना चाहते है, जिसका कि विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 2 को कोई हक अधिकार नहीं है।

हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार पति की सम्पत्ति में विरासत से पुत्र, पुत्री के साथ–साथ पत्नी का भी हक अधिकार होता है, लेकिन विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 2 प्रार्थीया को कोई हक हिस्सा नहीं देना चाहते है, जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नहीं है। इसलिये प्रार्थीया को भी विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 2 के साथ–साथ खातेदार अधिकारों की घोषणा किया जाना आवश्यक है एवं विपक्षीगण प्रार्थीया के हक हिस्से व कब्जे काश्त में दखल न दे इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा भी पारित किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है, विपक्षीगण 1 व 2 प्रार्थीया के उपयोग उपभोग एवं क़ब्जेकाश्त में दखल न दे न ही अन्य से दिलावे तथा प्रार्थीया को प्राप्त विरासत से खातेदारी अधिकारों में विपक्षीगण 1 व 2 दखल न दे न अन्य से दिलावे व न ही बेचान करे, मौके व रेकार्ड की यथास्थिति को बनाये रखने हेतु इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे अन्यथा प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमा विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में दखल न दे, मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेशित किया जावे।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से दिनांक 31.01.2018 को जवाब पत्र प्रस्तुत किया जिसकास संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :–

वादी/प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजियात में स्वयं के नाम पर नामान्तरण करने के सम्बन्ध में वादपत्र प्रस्तुत किया है जबकि राजस्व आराजियात के सम्बन्ध में राजस्व रेकार्ड में नामान्तरण करने हेतु तहसीलदार महोदय, भीलवाड़ा सक्षम प्राधिकारी है जिनके समक्ष प्रार्थीया द्वारा किसी प्रकार का कोई आवेदन नामान्तरण बाबत् प्रस्तुत नही किया गया है और न ही तहसीलदार महोदय, भीलवाड़ा से वाद की विषय वस्तु के सम्बन्ध में कोई आदेश प्राप्त किया है। नामान्तरण के सम्बन्ध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के समुचित प्रावधानो के अनुसार तहसीलदार महोदय ही नामान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही करने हेतु सक्षम व प्राधिकृत अधिकारी है। प्रार्थीया द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किये, बिना सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन किये केवल मात्र विपक्षीगण जवाबदाता को परेशान करने की गरज से यह झूठे तथ्यों पर आधारित प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो क्षेत्राधिकारिता के अभाव में प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

प्रार्थीया विपक्षीगण जवाबदाता की माता नही है. चूंकि यदि प्रार्थीया द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के सम्यक प्रावधानो के अनुसार ग्राम पंचायत अथवा तहसीलदार महोदय के समक्ष नामान्तरण हेतु आवेदन किया जाता तो जांच व अन्वेषण में उक्त तथ्य प्रकट होकर वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है तथा प्रार्थीया का कोई अधिकार व हित वादग्रस्त कृषि आराजियात मे स्थापित नही होता है इस कारण प्रार्थीया द्वारा केवल मात्र विपक्षीगण जवाबदाता को परेशान करने व उनके मालिकाना हक अधिकार की कृषि आराजियात को विवादित करने की गरज से झूठे तथ्यों पर आधारित यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो विधि मे पोषणीय नही होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

प्रार्थीया द्वारा जिस वादग्रस्त कृषि आराजियात का हवाला दिया गया है वह सामलाती खाते की जमीन है जिसमें सोहन पिता प्यारा बलाई का केवल मात्र 1/3 हक हिस्सा होकर अन्य सहखातेदारान भी है। जिन्हे प्रार्थीया द्वारा जानबूझकर प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। जबकि उक्त सहखातेदारान प्रकरण के न्यायोचित निस्तारण हेतु आवश्यक एवं सुसंगत पक्षकार है। जिन्हे विधि अनुसार पक्षकार बनाये बिना प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र विधि के अन्तर्गत पोषणीय नही है। इस कारण प्रार्थनापत्र प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

6/6/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थीया द्वारा झूठे मनगढंत, काल्पनिक, बेबुनियाद आधारो पर वादपत्र एवं प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो अवश्य ही खारिज होगा।

वादग्रस्त कृषि आराजियात से प्रार्थीया का कोई सम्बन्ध व हक हिस्सा नही है और प्रार्थीया उक्त कृषि आराजियात मे कोई हित नही रखती है उक्त कृषि आराजियात विपक्षीगण जवाबदाता के पिता के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है जिनके एकमात्र प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान विपक्षीगण जवाबदाता ही है और उक्तानुसार विरासतन उक्त कृषि आराजियात को अपने नाम पर दर्ज कराने के विधिक अधिकारी है।

प्रार्थीया स्व. सोहन पिता श्री प्यारा बलाई की विधिवत पत्नी नही है। बल्कि स्व. सोहन पिता प्यारा के जीवन काल में कुछ समय के लिए प्रार्थीया विपक्षीगण जवाबदाता के पिता स्व. सोहन के साथ रही परन्तु सोहन पिता प्यारा की मृत्यु से पूर्व ही प्रार्थीया रामेश्वर पिता नारू बलाई निवासी जोजवा के यहाँ नाता चली गयी। उसके उपरान्त प्रार्थीया कभी भी सोहन पिता प्यारा बलाई के पास नही आयी और न ही उनके साथ रही। प्रार्थीया द्वारा रामेश्वर पिता नारू बलाई के साथ नाता विवाह करने के बाद विपक्षीगण जवाबदाता ने कभी भी प्रार्थीया को देखा तक नहीं है। प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 2 मे वर्णित कृषि आराजियात पर कभी कोई कब्जा व हित नहीं रहा है। प्रार्थनापत्र खारिज होने योग्य है।

प्रार्थीया सोहन पिता प्यारा बलाई की विधिवत पत्नी नही रही है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीया सोहन पिता प्यारा बलाई की मृत्यु से पूर्व ही अन्यत्र रामेश्वर पिता नारू बलाई निवासी जोजवा के यहाँ नाता विवाह कर चली गयी। इस अनुसार प्रार्थीया का स्व. सोहन पिता प्यारा बलाई की किसी भी चल अचल सम्पति में कोई हक हिस्सा नहीं रहा है। प्रार्थीया स्व0 सोहन पिता प्यारा बलाई की हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उत्तराधिकारी नहीं है और न ही वादग्रस्त कृषि आराजियात की खातेदार काश्तकार घोषित होने की अधिकारिणी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया के पक्ष में न तो प्रथम दृष्टया मामला है और न ही सुविधा का संन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष मे है बल्कि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा के सन्तुलन के बिन्दु विपक्षी जवाबदाता के पक्ष में तय होते है। प्रार्थीया वादग्रस्त कृषि आराजियात के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है।

अंत में प्रार्थीया द्वारा झूठे तथ्य अंकित कराते हुए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो विधि मे पोषणीय नहीं है। प्रार्थीया किसी प्रकार से अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है। प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र भारी हर्जे खर्चे पर खारिज होने योग्य है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि विपक्षीगण जवाबदाता का जवाब प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमा कर प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र भारी हर्जे खर्चे पर खारिज किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रकरण में उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर के समक्ष दायर प्रथम अपील संख्या 1487/2016 उनवान प्रेम देवी बनाम श्रीमती केसर सोनी बाई हॉस्पीटल व अन्य निर्णय दिनांक 28.11.2017, श्री सोहन लाल सालवी पुत्र प्यारचन्द सालवी का मृत्यु प्रमाणपत्र एवं नगर परिषद भीलवाड़ा द्वारा जारी आवंटन पत्र की प्रति प्रस्तुत की। उभयपक्षकरान् अधिवक्तागण की बहस का मनन एवं चिंतन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सम्यक रूप से निस्तारण किये जाने हेतु निम्नांकित 3 बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना आवश्यक है–

1. प्रथम दृष्टया मामला– प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया के पति स्व0 सोहन लाल बलाई के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीया उसकी विधिक वारिस होकर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाना चाहती है। जबकि अप्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 व अन्य राजस्व कार्मिकों के साथ मिली–भगत करते हुए प्रार्थीया का नाम दर्ज नहीं होने का कार्य किया जा रहा है। जिसके कारण प्रार्थीया द्वारा वाद/

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीया के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ फोटो पहचान पत्र तथा परिवार राशन कार्ड की प्रति प्रस्तुत की गई है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीया स्व0 सोहन लाल की पत्नी होकर उसकी विधिक वारिस है। अतः प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकॉर्ड में उसके हक हिस्से अनुसार भूमि दर्ज होनी चाहिए। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में बखूबी प्रमाणित होता है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीया अपने जीवन काल में ही स्व0 सोहन लाल के नाते आयी थी और पुनः स्व0 सोहन लाल के जीवन काल में ही श्री रामेश्वर पिता नोला बलाई निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ के नाते चली गई थी। इस हेतु प्रार्थीया एवं रामेश्वर बलाई के मध्य निष्पादित हल्फनामा बाबत विवाह एवं जोजवा तहसील माण्डलगढ की निर्वाचक नामावली की प्रति पेश की गई है। उक्त दोनों दस्तावेजों से यह स्पष्ट तौर पर प्रमाणित होता है कि प्रार्थीया के द्वारा स्व0 सोहन लाल बलाई के जीवनकाल में अन्यत्र नाता विवाह कर लिया था। अन्यत्र नाता विवाह किये जाने के साथ ही प्रार्थीया का अपने पति की सम्पति पर अधिकार समाप्त हो गये।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण के मध्य मूल विवाद प्रार्थीया प्रेम देवी के स्व0 सोहन लाल बलाई के जीवन काल में अन्यत्र विवाह किये जाने के संबंध में है। उक्त पुनर्विवाह के आधार पर ही प्रार्थीया के हितों का निर्धारण होना है। चुंकि मूल वाद की पत्रावली तनकी कायमी की स्टेज पर है। चुंकि उक्त बिन्दु साक्ष्य प्रस्तुतीकरण के उपरान्त ही निस्तारित किया जाना संभव है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है।

2. सुविधा का संतुलन एवं 3. अपूरणीय क्षति–

उक्त दोनों बिन्दुओं का पत्रावली का गुणवत्तापुर्ण निस्तारण किये जाने हेतु संयुक्त रूप से निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निवेदन किया कि स्व0 मोहन लाल बलाई का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रार्थीया द्वारा जारी करवाया गया है एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित पता सांगानेर कॉलोनी भीलवाड़ा है। साथ ही राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर में दायर प्रथम अपील में भी प्रार्थीया द्वारा स्वयं के पति का नाम सोहन लाल साल्वी अंकित करवाया गया है। इसी प्रकार नगर परिषद भीलवाड़ा द्वारा जारी पट्टा विलेख भी प्रार्थीया एवं उसके पति स्व0 सोहन लाल साल्वी के संयुक्त नाम से जारी किया गया है। इन दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीया स्व0 सोहनलाल पुत्र प्यारा की विधिक वारिस है। यदि वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण द्वारा कूट रचना की जाकर अपने नाम दर्ज करवा ली जाती है और वादग्रस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवाई जाकर किसी अन्य दीगर व्यक्ति के पक्ष में अन्तरण कर दी जाती है तो उससे वादकारण बढ़ने की पूर्ण संभावना है। इस प्रकार प्रार्थीया के पक्ष में सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु बखूबी प्रमाणित होता है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा निष्पादित हल्फनामा बाबत विवाह एवं वोटर लिस्ट ग्राम जोजवा तहसील माण्डलगढ से यह स्पष्ट तौर पर प्रमाणित होता है कि प्रार्थीया द्वारा अपने पति के जीवनकाल में अन्यत्र विवाह कर लिया था। जिससे प्रार्थीया के वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार के हित अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीया अपने पक्ष में साबित करने में असफल रही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया के पति स्व0 सोहन लाल बलाई की थी और वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार स्व0 सोहन लाल बलाई के नाम दर्ज है। न्यायालय का यह विधिक दायित्व है कि दौराने वाद वादग्रस्त भूमि का अन्तरण नहीं हो। यदि इस प्रकार के अन्तरण होते है तो अनावश्यक नवीन वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होंगे। ऐसे वादों को रोके जाने का दायित्व न्यायालय का होने से वादग्रस्त भूमि में सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में प्रमाणित होता है।

16/6/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रार्थीया अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु साबित करने में प्रथम दृष्टया सफल रही है। अतएव

—: आदेश :—

प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 3 मृतक स्व0 श्री सोहन लाल बलाई पुत्र श्री प्यारा बलाई की मृत्यु होने से वारिसान के आधार पर नामान्तरण दर्ज नहीं करे एवं राजस्व रिकॉर्ड की मूल वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाई रखे। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जताा है। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

16/6/25

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा